राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	584/2021 मौसम देवी / ग्राम पंचायत हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता/उपस्थित आये। उन्हें नकल उपलब्ध करवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निष्पादित विक्रय पत्रों एवं जमाबन्दी की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात का उपयोग-उपभोग कर काबिज काश्त है जिसके सन्दर्भ में यदि कोई विधिक त्रुटी भी हो तो भी ऐसी खातेदारी की कृषि आराजीयात के सन्दर्भ में विधि अनुसार प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही खातेदार की आराजीयात के सन्दर्भ में ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा यथा बैचान, हस्तान्तरण, संपरिवर्तन, नामान्तकरण नही किये जाने का आदेश विधि द्वारा स्थापित सिद्दांतो के अनुरूप किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर मात्र सरपंच के शिकायती पत्र पर ही अपीलार्थी के खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में बैचान, हस्तान्तरण, संपरिवर्तन, नामान्तकरण नही किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया जबकी वे किसी भी शिकायत पर जाँच करवाने का तत्तपश्चात विधिक त्रुटी पाए जाने पर ही विधि अनुसार न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा कर ऐसा आदेश पारित कर सकते थे अथवा करवा सकते थे किन्तु ऐसा नही कर मात्र शिकायती पत्र के आधार पर ही खातेदार को सुने बिना एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अत्यधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जैर अपील दिनांक 10/12/2021 कानून के विरुद्द पारित करते हुये अपीलार्थी को उसके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग में प्रतिबंधित कर दिया गया जो विधि विरुद्द होने से अपास्त किया जाता है। अधिवक्ता केवियटकर्ता/रेस्पो. द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवेहलना होने पर प्रार्थी रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर सही रूप से आदेश पारित किया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही है एवं ऐसे प्रकरणों में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश यदि प्रदान नही किया जाता तो भूमि के खुर्द-बुर्द होने की पूर्ण आशंका बनी हुई थी ऐसे में सही रूप से आदेश दिया गया है अपील इसी स्तर पर ख़ारिज की जावे। हमने बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उद्दरित तथ्यों के परिपेक्ष में	225

अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मौसम देवी / ग्राम पंचायत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/12/2021 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से प्रथमदृष्टया ही यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली द्वारा अपने आदेश क्रमांक ही यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपुतली द्वारा अपने आदेश क्रमांक पी.ए./2021/349-50 दिनांक 10/12/2021 के जरिये प्रार्थी संरपंच द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र पर अपीलार्थी खातेदार को सुने बगेर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित शक्तियों का अतिक्रमण करते हुये में बैचान, हस्तान्तरण, संपरिवर्तन, नामान्तकरण नही किये जाने का आदेश भी पारित कर दिये गये | जबकि ऐसी शिक़ायती पत्र की सम्पूर्ण जाँच करवा कर बाद जाँच यदि कोई विधिक त्रुटी प्रकट होती है तो विधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जानी होती है जिसके लिये उनमे समस्त शक्तियां निहित है एवं इस हेतु वे किसी भी स्तर पर कार्यवाही कर सकते है किन्तु ऐसा नही कर मात्र शिकायत पत्र के आधार पर खातेदार अपीलार्थी की खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में में बैचान, हस्तान्तरण, संपरिवर्तन, नामान्तकरण नही किये जाने का जो अंकन किया गया है वह विधि अनुरूप एवं न्यायसंगत प्रतीत नही होता है | जहाँ तक प्रकरण में धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लघन के बिन्दु का प्रशन है तो इस सन्दर्भ में विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया विधि निहित है जिसके अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है | अत: अपीलाधीन आदेश क्रमांक पी.ए./2021/349-50 दिनांक 10/12/2021 निरस्त किया जाता है तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 24/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर